भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 44
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराए में अत्यधिक वृद्धि

***44. श्री शफी परम्बिल:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कन्नूर और कालीकट विमानपत्तन से विमान सेवाओं के बार-बार रद्द होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में यात्रियों को प्रभावित करने वाली ऐसी समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए उचित हस्तक्षेप किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने छुट्टियों के समय के दौरान विमान किराए में अत्यधिक वृद्धि का संज्ञान लिया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र के यात्री प्रभावित होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का व्यस्ततम समय के दौरान विमान किराए में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव की स्थिति से बचने के लिए, विमान किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई उपाय आरंभ करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि" के संबंध में श्री शफी परम्बिल द्वारा दिनांक 25.07.2024 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. 44 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कन्नूर और कालीकट सहित विभिन्न हवाईअड्डों से कभी-कभी मौसम, तकनीकी, परिचालन संबंधी और विविध कारणों से उड़ानें रद्द होती हैं। पिछले तीन महीनों अर्थात अप्रैल से जून, 2024 के दौरान कालीकट और कन्नूर हवाईअड्डों से/के लिए कुल लगभग 542 उड़ानें

(उड़ानों की कुल संख्या का लगभग 5.59%) रद्द की गई हैं। उड़ान में व्यवधान और विशेष रूप से उड़ानें रद्द होने और उड़ान पर जाने वाले यात्रियों को समुचित सूचना दिए बिना उड़ान में देरी के मामले में हवाई यात्रियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, डीजीसीए ने "बोर्डिंग न कराने, उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खण्ड -3 - वायु परिवहन, - श्रृंखला-एम भाग-IV जारी किया है।

(ग) से (ङ): जहाँ तक हवाई किराए के विनियमन का संबंध है, सरकार भारतीय या विदेशी एयरलाइनों द्वारा निर्धारित किराए को विनियमित नहीं करती है। किसी भी मार्ग पर किराए अन्य बातों के साथ-साथ सीजनैलिटी, छुट्टियों और त्योहारों, विमानन टर्बाइन ईंधन की लागत, प्रतिस्पर्धा और अन्य समान कारकों पर निर्भर करते हैं। एयरलाइन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया कई स्तरों {बकेट या आरबीडी} में कार्य करती है जो वैश्विक रूप से अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप है और डाइनैमिक किराया मूल्य निर्धारण व्यवस्था के कारण यात्रा की तारीख के निकट खरीदे गए टिकटों की तुलना में पहले से खरीदे गए टिकट बहुत सस्ते होते हैं। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के तहत एयरलाइनें परिचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, आम तौर पर प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीजीसीए की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) यह सुनिश्चित करती है कि एयरलाइन द्वारा वसूले जा रहे किराए एयरलाइन द्वारा स्थापित टैरिफ के अनुसार ही हैं। वर्तमान में, मंत्रालय के पास हवाई किराये पर मौजूदा नियामक फ्रेमवर्क में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****